



Central Pollution Control Board
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi-110032

No.C-20017/02/DPC/Admn.(R)/2017

Dated : August 22, 2017

ORDER


Consequent upon the acceptance of the recommendations of the Departmental Promotion Committee meeting, for Group 'C' posts, held on 8th August 2017, by the Competent Authority, following Officials holding the substantive post of Attendant are promoted to the post of Senior Attendant in the Level-2 in Pay Matrix as per CCS (RP) Rules, 2016.

Sl.No.	Name of the Officials
1.	Shri Ahmed Sayeed (UR)
2.	Smt. Santosh Kumari (SC)

02) The promotion to the post of Senior Attendant will be effective only on joining of duties as Senior Attendant.

03) Their pay in the above grade will be fixed by the Administration (P) Section on receipt of option, as per rules.

04) This issues with the approval of the Competent Authority, Central Pollution Control Board.


(Jugesh Kumar)

Senior Administrative Officer

Distribution:-

1. Individual Concerned
2. Concerned Incharges
3. ACO-II
4. Incharge, IT Division
5. PS to MS
6. Personal file of the Individual
7. Office Order File
8. Master file of AO (P)

with the request to upload the Order
on the official website of the CPCB.



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,

दिल्ली-110032

सं. सी-20017/02/डीपीसी/प्रशा.(भर्ती)/2017 289

दिनांक 22.08.2017

आदेश

केन्द्रीय बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 08-08-2017 को समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों की स्वीकृति के फलस्वरूप निम्नलिखित कर्मचारी जो वर्तमान में परिचर के पद पर कार्यरत हैं, को सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के अनुसार पे-मेट्रिक्स के लेवल -2 में वरिष्ठ परिचर के पद पर पदोन्नत किया जाता है:

क्र.सं.	कर्मचारियों का नाम
1.	श्री अहमद सईद
2.	श्रीमति संतोष कुमारी (अनुसूचित जाति)

02. वरिष्ठ परिचर के पद पर उनकी प्रोन्नति उनके द्वारा वरिष्ठ परिचर के पद पर कार्यग्रहण करने पर ही प्रभावी होगी।
03. उपर्युक्त लेवल में उनका वेतन उनसे विकल्प की प्राप्ति पर प्रशासन अनुभाग (कार्मिक) द्वारा नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।
04. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(जुगेश कुमार)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:-

1. संबंधित कर्मचारी
2. संबंधित प्रभारी
3. लेखा अधिकारी-1।
4. प्रभारी, आई.टी प्रभाग- कृपया इस आदेश को केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. संबंधितों की कार्मिक फाइल
7. कार्यालय आदेश फाइल
8. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक) की मास्टर फाइल